

आपकी बेटी योजना

1	योजना का नाम	आपकी बेटी योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से 8 में ऐसी पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को 1100 रुपये प्रति वर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 1500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004-05
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं, तथा जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है।
5	पात्रता	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं। जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो।
6	देय सुविधाएं	कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत के लिए 1100 रुपये एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत के लिए 1500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालिका।
7	आवदेन का तरीका	संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को आवेदन।
8	आवदेन का किया जावे	संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा

		अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none">• बीपीएल कार्ड नम्बर• माता-पिता दोनों अथवा एक के निधन का प्रमाण-पत्र नियमित अध्ययनरत प्रमाण-पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	<ul style="list-style-type: none">• जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, 2-2ए, आर.एस.टी.बी. भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर (मोबा.- 9460381389)